

मदन बनाम गेरू व अन्य
प्र०सं०—: 96 / 2024(रे०वाद)
निर्णय दिनांक:—15 / 07 / 2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमंद
(पीठासीन अधिकारी:— अर्चना चौधरी, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या — 96 / 2024(रे०वाद)

दायर दिनांक — 14 / 10 / 2024

निर्णय दिनांक — 15 / 07 / 2025

अनवान

1. मदन पुत्र लालु जाति कलाल निवासी कालागुन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

—वादी

बनाम

1. गेरू पुत्र लालु जाति कलाल निवासी कालागुन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
2. गोपी पुत्र लालु जाति कलाल निवासी कालागुन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
3. मोहन पुत्र लालु जाति कलाल निवासी कालागुन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार तहसील—देवगढ़ जिला राजसमंद (राज.)

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

वादी की ओर से — श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से —

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत विभाजन का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की सामलाती खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम सुरतपुरा पटवार मण्डल काकरोद भू.अभि.नि. क्षेत्र लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 14 आराजी संख्या 19, 20, 22, 23, 24, 36, 37, 47, 51 कुल कित्ता 09 कुल रकबा 2. 2900 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 का हिस्सा भूमि माफिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार दर्ज है जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:—



सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

मदन बनाम गेरू व अन्य
प्र०सं०-: 96 / 2024(रि०वाद)
निर्णय दिनांक:-15 / 07 / 2025

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	मदन पुत्र लालु हिस्सा पूर्ण जाति कलाल नि० कालागुन	19 22 24 / 1 24 / 2 47 51 / 1 36 37	.0800 .0560 .0250 0.0120 .1250 .0864 .0690 .1055	चाही । चाही । चाही । चाही । चाही 3 चाही 3 बारानी । खादी ।	2.32 1.62 .72 .34 2.12 1.46 .34 1.26
	योग	किता-08	0.5589		10.18
2.	1. गेरू पुत्र लालु हिस्सा 1/3 जाति कलाल 2. गोपी पुत्र लालु हिस्सा 1/3 जाति कलाल 3. मोहन पुत्र लालु हिस्सा 1/3 जाति कलाल, राहिन हिस्सा 1/4(पूर्ण) M.A.G.B. शाखा ताल	19 / 1 20 22 / 1 22 / 2 23 24 / 3 24 / 4 24 / 5 47 / 1 51 / 2 51 / 3 36 / 1 36 / 2 37 / 1 37 / 2	.1600 .1100 .1400 .0340 .1400 .0352 .0096 .0362 .1250 .1000 .3012 .0440 .1570 .0832 .2013	चाही । चाही । चाही । चाही । चाही 2 चाही । चाही । चाही । चाही 3 चाही 3 चाही 3 बारानी । बारानी । खादी खादी	4.64 3.19 4.06 .98 3.22 1.02 .27 1.04 2.12 1.7 5.12 .22 .78 .99 2.41
	योग	किता-15	1.6767		31.86
3	1. गेरू पुत्र लालु हिस्सा 1/4 जाति कलाल 2. गोपी पुत्र लालु हिस्सा 1/4 जाति कलाल 3. मदन पुत्र लालु हिस्सा 1/4 जाति कलाल 4. मोहन पुत्र लालु हिस्सा 1/4 जाति कलाल राहिन हिस्सा 1/4(पूर्ण खाता) M.A.G.B. शाखा ताल	24 51	.0320 .0234	चाही । चाही 3	.92 .38
	योग	किता-02	.0544		1.30



(A)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

मदन बनाम गेरू व अन्य
प्र0सं0-: 96/2024(रि0वाद)
निर्णय दिनांक:-15/07/2025

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावें तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी B.A.S.)
सहायक कलेक्टर देवगढ़
जिला राजसमन्द

मदन बनाम गेरू व अन्य
प्र0सं0-: 96/2024(रे0वाद)
निर्णय दिनांक:-15/07/2025
अन्तिम डिक्री

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी :- अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :- 96/2024

अनवान

1. मदन पुत्र लालु जाति कलाल निवासी कालागुन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

—वादी

बनाम

1. गेरू पुत्र लालु जाति कलाल निवासी कालागुन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
2. गोपी पुत्र लालु जाति कलाल निवासी कालागुन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
3. मोहन पुत्र लालु जाति कलाल निवासी कालागुन तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द ।
4. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार तहसील-देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

वादी की ओर से -

श्री राजेश समदानी, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से -

में इस आशय दिनांक 15/07/2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि ग्राम सुरतपुरा पटवार मण्डल काकरोद भू.अभि.नि. क्षेत्र लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 14 आराजी संख्या 19, 20, 22, 23, 24, 36, 37, 47, 51 कुल कित्ता 09 कुल रकबा 2.2900 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 का हिस्सा भूमि माफिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार दर्ज है जिस पर तहसीलदार देवगढ़ द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया जिस पर वादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर सहमति प्रदान की गयी। अतः वादी का वाद बाबत विभाजन का स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	किस्म	लगान
1.	मदन पुत्र लालु हिस्सा पूर्ण जाति कलाल नि0 कालागुन	19	.0800	चाही।	2.32
		22	.0560	चाही।	1.62
		24/1	.0250	चाही।	.72
		24/2	0.0120	चाही।	.34



4

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

मदन बनाम गेरु व अन्य
प्र०सं०-: 96 / 2024 (रे०वाद)
निर्णय दिनांक:-15 / 07 / 2025

		47	.1250	चाही 3	2.12
		51 / 1	.0864	चाही 3	1.46
		36	.0690	बारानी ।	.34
		37	.1055	खादी ।	1.26
	योग	किता-08	0.5589		10.18
2.	5. गेरु पुत्र लालु हिस्सा 1/3 जाति कलाल	19 / 1	.1600	चाही ।	4.64
		20	.1100	चाही ।	3.19
	6. गोपी पुत्र लालु हिस्सा 1/3 जाति कलाल	22 / 1	.1400	चाही ।	4.06
		22 / 2	.0340	चाही ।	.98
	7. मोहन पुत्र लालु हिस्सा 1/3 जाति कलाल, राहिन हिस्सा 1/4(पूर्ण) M.A.G.B. शाखा ताल	23	.1400	चाही 2	3.22
		24 / 3	.0352	चाही ।	1.02
		24 / 4	.0096	चाही ।	.27
		24 / 5	.0362	चाही ।	1.04
		47 / 1	.1250	चाही 3	2.12
		51 / 2	.1000	चाही 3	1.7
		51 / 3	.3012	चाही 3	5.12
		36 / 1	.0440	बारानी ।	.22
		36 / 2	.1570	बारानी ।	.78
		37 / 1	.0832	खादी	.99
		37 / 2	.2013	खादी	2.41
	योग	किता-15	1.6767		31.86
3	4. गेरु पुत्र लालु हिस्सा 1/4 जाति कलाल	24	.0320	चाही ।	.92
		51	.0234	चाही 3	.38
	5. गोपी पुत्र लालु हिस्सा 1/4 जाति कलाल				
	6. मदन पुत्र लालु हिस्सा 1/4 जाति कलाल				
	8. मोहन पुत्र लालु हिस्सा 1/4 जाति कलाल राहिन हिस्सा 1/4(पूर्ण खाता) M.A.G.B. शाखा ताल				
	योग	किता-02	.0544		1.30

उपरोक्तानुसार पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड में पृथक-पृथक अंकन किया जावे तथा विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जूज हिस्सा रहेगा। पत्रावली फेसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर देवागढ़
देवागढ़, जिला राजसमन्व